

THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 317

11 JYESHTH, 1945 (S)

RANCHI, THURSDAY 1st JUNE, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

1st June, 2023

Notification No.- 22/2022 – State Tax

S.O. No. 15, Dated 1st June, 2023:- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

- **1. Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2022.
- (2) Save as otherwise provided in these rules these rule shall deemed to be effective from the 15th November, 2022.

- 2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in **FORM GSTR-9**, under the heading Instructions, in paragraph 7, -
 - (A) for the figures, letters and words "between April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "of April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;
 - (B) in the Table, in second column, -
 - (I) against serial numbers 10 & 11, for the figures and words "April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;
 - (II) against serial number 12, for the figures and words "April 2022 to September 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted;
 - (III) against serial number 13, for the figures and words "April 2022 to September 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted.

 [File. No. VaKar/GST/01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

(Vipra Bhal)

Secretary, Commercial Taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 28-State Tax, dated the 20thJune, 2017, published and last amended, *vide* notification No.19/2022 - State Tax, dated the 18th November, 2022, *vide* S.O. No. 43, dated the 18th November, 2022.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 1 जून, 2023

अधिसूचना संo.22/2022- राज्य कर

- एस. ओ. सं. 15, दिनांक 1 जून, 2023 झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2022 है।

- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से लागू मानी जाएगी।
- 2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, पैरा 7 में, -
 - (क) शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 में 30 नवंबर 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -
 - (I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फ़ाइल किए गए को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (II) क्रम संख्या 12 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (III) क्रम संख्या 13 के सामने , शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(विप्रा भाल)

सचिव.

वाणिज्य-कर विभाग।

टिप्पण: मूल नियम झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 28- राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 19/2022- राज्य कर, तारीख 18 नवम्बर, 2022 द्वारा एस. ओ. सं. 43, तारीख 18 नवम्बर, 2022 द्वारा किये गए थे।